अनुदान संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 61 - MINISTY OF INFORMATION AND BROADCASTING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4661,16,00	4661,21,00	4276,68,34	-384,52,66
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				293,69,32
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	30,84,00	38,84,00	37,55,23	-1,28,77
पूरक	Supplementary	8,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat-Social Services				
मू.	O.	11056.00	11180.82	10551.18	-629.64
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	123.82			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला और संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	2799.00			
पू.	S.	1.00	4624.99	4188.63	-436.36
पु.	R.	1824.99			
मुख्य शीर्ष "2220"	Major Head "2220"				
सूचना और प्रचार	Information and Publicity				
मू.	O.	106375.00			
पू.	S.	1.00	125656.87	122949.41	-2707.46
पु.	R.	19280.87			
मुख्य शीर्ष "2221"	Major Head "2221"				
प्रसारण	Broadcasting				
मू.	O.	334836.00			
पू.	S.	1.00	295289.00	289979.12	-5309.88
पु.	R.	-39548.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	11050.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-11051.00			

(I) ₹11223.01 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹11001.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹11223.01 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹11001.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)" – ₹3001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) "Films - Production of Films - Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" - ₹3001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(खा) "अन्य (सूचना और प्रचार) – विज्ञापन और दृश्य प्रचार – विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" – ₹2000.00 लाख; तथा

(B) "Others (Information and Publicity) - Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - ₹2000.00 lakhs; and

(ग) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसार भारती को अनुदान – प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" – ₹6000.00 लाख।

(C) "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharati - Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - ₹6000.00 lakhs.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने तथा शेष राशि को अभ्यर्पित कर दिए जाने के कारण उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" के अंतर्गत – "सचिवालय – सूचना और प्रसारण मंत्रालय" – ₹505.82 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11057.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, त्यागपत्र देने, पदोन्नति पर कर्मचारियों के स्थानांतरण, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण के दावों की प्राप्ति न होने और विसंगतियों के कारण घरेलू/विदेशी यात्रा रियायत बिलों के प्रसंस्करण न करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Information and Broadcasting" - saving of ₹505.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11057.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-filling up of vacant posts, resignation, transfer of employees on promotion, non-receipt of claims towards leave travel concession, leave encashment and non-processing of domestic/foreign travel concession bills owing to discrepancies.

(III) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत हुई:–

(III) Under Major Head "2220" - savings occurred under the following heads:-

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता" – ₹3595.90 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9513.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय अशांति और खराब मौसम की स्थिति के कारण निर्माण संबंधी कार्य की धीमी गति और जीईएम द्वारा

(A) "Films - Production of Films - Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" - saving of ₹3595.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9513.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2023) was due to slow pace of construction related work owing to

हाई टेक उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

local unrest and inclement weather condition and non-procurement of Hi Tech equipment on GeM.

(खा) "अन्य" –

(क) "जनसंचार में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण – भारतीय जनसंचार संस्थान" – ₹877.10 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4467.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(ख) "विज्ञापन और दृश्य प्रचार – केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) (पूर्ववर्ती बीओसी)" – ₹1749.48 लाख की बचत (₹20008.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गतिविधियों की पुनः प्राथमिकता, पट्टा समझौते को अंतिम रूप न देने, छुट्टी यात्रा रियायत बिलों की प्राप्ति न होने, जालंधर और अमृतसर इकाइयों का नवीनीकरण न होने और क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के आकाशवाणी भवन में स्थानांतरित करने में देरी के कारण छोटे सिविल और बिजली कार्यों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "प्रेस सूचना सेवाएं–अन्य मदें" – ₹893.78 लाख की बचत (₹1821.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि की अनुपलब्धता के कारण नए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण हुई।

(B) "Others"-

(a) "Research and Training in Mass Communication - Indian Institute of Mass Communication" - saving of ₹877.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4467.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2023) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Advertising and Visual Publicity-Central Bureau of Communication (CBC) (erstwhile BOC)"- saving of ₹1749.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20008.00 lakhs) was due to re-prioritization of activities, non-finalisation of lease agreement, non-receipt of leave travel concession bills, non-renovation of Jalandhar and Amritsar units and requirement of less funds towards minor civil and electric works owing to delay in shifting of Regional office Chandigarh to AIR building.

(c) "Press Information Services-Other Items" - saving of ₹893.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1821.00 lakhs) was due to non-commencement of construction work of new office building owing to non-availability of land.

(IV) मुख्य शीर्ष "2221" – "प्रसार भारती को सामान्य अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(IV) Under Major Head "2221" - "General-Grants to Prasar Bharati" - savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रसार भारती" – ₹25394.84 लाख की बचत (₹280836.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन

(A) "Prasar Bharti" - saving of ₹25394.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280836.00

और अन्य भत्तों के लिए कम धनराशि की आवश्यकता, रिक्त पदों को न भरने और छुट्टी यात्रा रियायत और छुट्टी नकदीकरण के लिए कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and other allowances, non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards leave travel concession and leave encashment.

(खा) "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" – ₹19463.04 लाख की बचत (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹54001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गतिविधियों की पुनः प्राथमिकता, प्रसार भारती द्वारा खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण व्यय की धीमी गति, ऑडियो ब्रॉडकास्ट प्रोसेसर, तकनीकी उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी न होने और एफएम विस्तार के तहत टावर लगाने के कारण हुई।

(B) "Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - saving of ₹19463.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹54001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) was due to re-prioritization of activities, slow pace of expenditure owing to non-finalisation of procurement by Prasar Bharti, non-completion of procurement process of Audio Broadcast Processor, technical equipments and erection of towers under FM expansion.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹319.43 लाख रुपए की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹319.43 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचत का आंशिक रूप से (₹10975.19 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया, जैसा कि पहले ही संसद को सूचित किया जा चुका है, जबकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2023 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गयाः–

2.(I) The above savings were partly (₹10975.19 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2023 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2205" – "सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणन – केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड" – ₹1824.99 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1388.63 लाख हुआ।

(A) Major Head "2205"-"Certification of Cinematographic Films for Public Exhibition- Central Board of Film Certification" - ₹1824.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹1388.63 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2220" – "फिल्में – फिल्मों का निर्माण" –

(B) Major Head "2220" - "Films - Production of Films"-

(क) "फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे" – ₹851.70 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹588.66 लाख हुआ।

(a) "Film and Television Institute of India, Pune" - ₹851.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹588.66 lakhs.

(ख) "फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)" – ₹7999.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6988.00 लाख हुआ।

(ग) "राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)" – ₹298.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹298.35 लाख हुआ।

(II) बचत की प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष "2220" – "अन्य – विज्ञापन और दृश्य प्रचार – विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" के अंतर्गत अधिक राशि से भी हो गई – ₹16751.67 लाख का अधिक व्यय (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीबीसी द्वारा चलाए गए अभियानों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹128.77 लाख) दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹800.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थी।

(b) "Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)"- ₹7999.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹6988.00 lakhs.

(c) "National Film Development Corporation (NFDC)"- ₹298.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹298.35 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2220"- "Others -Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - excess of ₹16751.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards campaigns undertaken by CBC, targeting saturation of major flagship schemes and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹128.77 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grants of ₹800.00 lakhs obtained in December, 2023 and 3 percent of the total sanctioned provision.